

कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल (म0प्र0)

क्रमांक 03 अ-82/17-18/रातामाटी/9253 बैतूल दिनांक 7. 8 .2018
प्रति,

संचालक,
जनसम्पर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,
भोपाल ।


विषय:- ग्राम रातामाटी तहसील भैसदेही के भू-अर्जन प्रकरण में
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का प्रकाशन कराने बाबत ।

-0-

म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के अन्तर्गत प्रमुढाना लघु जलाशय हेतु अर्जन की जाने वाली भूमि के सम्बंध में सामाजिक समाघात रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है ।

उक्त सामाजिक समाघात रिपोर्ट का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराया जाकर प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



(शशांक मिश्रा)
कलेक्टर एवं

भू-अर्जन अधिकारी बैतूल
बैतूल दिनांक 7-8-2018

पृ0क0 3 अ-82/2017-18/9253
प्रतिलिपि:-

- 1- अनुविभागीय अधिकारी, (रा) भैसदेही को अग्रेषित, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करे।
- 2- कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल को अग्रेषित सामाजिक समाघात रिपोर्ट का ग्राम स्तर, तथा कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करे।
- 3- प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल, समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।
- 5- तहसीलदार भैसदेही को प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार


कलेक्टर एवं

भू-अर्जन अधिकारी बैतूल

प्रारूप- 'ख'
(नियम 5 देखिए)
समाजिक समाघात रिपोर्ट

1. परियोजना का नाम - प्रभुदाना जलाशय बांध कार्य
2. लोक प्रयोजन - सिंचाई हेतु
3. स्थल - रातामाटी
4. परियोजना का क्षेत्र - रातामाटी
5. विकल्प जिन पर विचार किया गया - यह भूमि जलाशय के लिये अतिउपयुक्त एवं उचित शासकीय व्यय आने एवं इस जल क्षेत्र का अधिक से अधिक लोगों को फायदा हेतु इस जगह का चयन किया गया।
6. परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता - कार्यपालन येत्री, जल संसाधन संभाग कं. 2, बैतूल
7. परियोजना निर्माण के चरण - प्रथम एवं अंतिम
8. परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे - प्रकरण में संलग्न हैं
9. परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि - 8.685 हे.
10. भूमि का मूल्य - 1962510
11. प्रभावित परिवारों की संख्या - 15
12. परिसम्पत्तियां :-
लोक सम्पत्ति भूमि निरंक है. भवन निरंक
अन्य निजी सम्पत्ति भूमि 8.685 हे. भवन
निरंक अन्य
13. विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या - निरंक
जिनकी भूमि अर्जित हुई - निरंक
ग्राम परिवारों की संख्या - निरंक
14. सामाजिक समाघात :-
(क) समाघाती की संकेतक सूची - निष्कर्ष में उल्लेखित हैं।
(ख) यदि नहीं-तो क्यों? - निरंक
15. विकल्प जिन पर विचार किया गया :-
(क) यदि हां-तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई? - लोक प्रयोजन हेतु।
(ख) यदि नहीं-तो क्यों? - निरंक

निष्कर्ष :-

प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन परा होता हैं।

प्रभावित भूमि के अर्जन के कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा हैं।


प्रभावित भूमि के अर्ज से जो

प्रभावित हो रही है उनका विधि अनुसार मुआवजा दिया जा रहा हैं।


4. आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा हैं।


5. इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए हैं।


6. जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक हैं। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त हैं।


(सदस्य)

21/7/18


(सदस्य)
अपवन मंडलाधिकारी
आमला (बैतूल)


(सदस्य)
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
भीमपुर


(अध्यक्ष)
अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) भैंसदेही